मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–32/2017/18–5 भोपाल दिनांक / /2017

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला इन्दौर
2. संयुक्त संचालक
   नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
   इंदौर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत इंदौर
4. आयुक्त
   नगर निगम इंदौर

विषय :–इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

Sd/-
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

497/TC
18/05/17

पृ0क0–एफ 3–32/2017/18–5 भोपाल दिनांक 11/5/2017

प्रतिलिपि :–

आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Sd/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 597
दि. 16/05/17
शाखा Addl. DIR(A) TC
JD TC (L)
अधीक्षक आयुक्त

JD TC
23/05/17

23/5

ADL/EW
DMS
23/5/17

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated .11-5-17..

No. F–3/32/2017/18–5 : It is hereby notified that the state government porposes to modify the provisions of Indore Development Plan 2021 under Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE FOR MODIFICATION

Modifications have been proposed in clause 6.8.5(4) of chapter-6 of Indore development plan 2021.

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of the Collector Indore, Joint Director, Town and Country Planning, District office Indore as well as on the website www.mptownplan.nic.in.

Hence State Government hereby proposes to publish modifications for the public information under section 23(a)(2) of the Act, copy of which shall be available for inspection to the public in the office of the Collector Indore, Joint Director, Town and Country Planning, District office Indore after publication of this notice in the daily Newspapers during office hours of working days.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Ministry of Urban Development and Housing Department, Bhopal or Joint Director, Town and Country Planning, Indore.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Housing Department

2/order 23 k 1 k

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
<u>मंत्रालय</u>

—: सूचना :—

भोपाल दिनांक 1/5/2017

क्रमांक–एफ–3/32/2017/18–5 :—एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012) की धारा 23–"क" की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार ने इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किये है:—

<u>उपांतरण का विवरण</u>

इंदौर विकास योजना 2021 के अध्याय–6 की कंडिका 6.8.5(4), में उपांतरण प्रस्तावित किए गए हैं।

उपरोक्त उपांतरण का विस्तृत अवलोकन कलेक्टर कार्यालय इंदौर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर के कार्यालय के साथ ही www.mptownplan.nic.in की वेबसाईड पर किया जा सकता है।

2/ अतः उक्त अधिनियम की धारा 23(क) (2) के अधीन राज्य सरकार उपांतरण के प्रारूप को सर्व साधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करती है, जिसकी प्रति संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर एवं कलेक्टर जिला इंदौर के कार्यालय में सूचना के स्थानीय दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

3/ उक्त उपांतरण विवरण के प्रावधान के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे इस सूचना के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के तिथि से 15 दिन की कालावधि के भीतर अवर सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय या संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर को लिखित रूप से प्रस्तुत किए जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

2/order 23 k 1 k

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 11/5/2016

क्रमांक एफ–3–32/2017/18–5 :: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (कमांक–1 सन् 2012) की धारा 23–"क" की उपधारा (1) के खण्ड(क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है :–

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
अध्याय 6 **कंडिका 6.8.5(4) :–** वाणिज्यिक मार्ग चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप यातायात और पार्किंग के अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए ऐसे मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारण किये जायेंगे। यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो यथासंभव उक्त मार्ग पर भूमि/प्लाट ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अथवा पार्किंग सुविधाओं (बहुतलीय पार्किंग को प्राथमिकता) के निर्माण के लिये अधिगृहित किया जा सकेगा। इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसियेशन्स द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक साझेदारी (पी.पी.पी.) पद्धति अपनाई जा सकती है। इस प्रकार सुविधा निर्मित होने के पश्चात् ही मार्ग पर वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य होगा। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :–** **कंडिका 6.8.5(4) :–** वाणिज्यिक मार्ग चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप पार्किंग के अतिरिक्त भार को देखते हुये अतिरिक्त पार्किंग प्रावधान प्रत्येक भूखंड में किया जाना आवश्यक होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु 50 वर्गमीटर पर एक पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित करने का प्रावधान है तथा विकास योजना की कंडिका–6.16.8(2) के अनुसार पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि विकास नियम 2012 के नियम–84 के अनुसार ही पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित करना आवश्यक होगा। पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग हेतु पार्किंग क्षेत्र के 50 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग का भी प्रावधान भूखंड में ही किया जाये। वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग पर अतिरिक्त पार्किंग हेतु 25 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाये।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी.के.साधव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

20/3/2017

2/order 23 k 1 k